संख्या- 873/18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

विषयः उ०प्र० निर्यात उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने तथा प्रदेश में निर्यात संवर्धन के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास एवं उच्च तकनीक को अपनाते हुए प्रदेश में निर्यातपरक अवसंरचना के विकास तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु ऐसे प्रतिष्ठित व प्रामाणिक निजी उद्यम व सेवा प्रदाता इकाईयां, जोकि निर्यातोन्मुखी अवसंरचना यथा परीक्षण व प्रमाणन एजेंसी, लॉजिस्टिक्स, वेयर हॉउसिंग, ई-कॉमर्स आपूर्ति केन्द्र, कौशल विकास, प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन और लेबलिंग, पैकेजिंग आदि के लिए सामान्य सुविधा केंद्र इत्यादि का विकास कर रही हैं, को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए आंशिक रूप से लाभान्वित किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनाँक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित नवीन उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में लिया गया है।

तत्क्रम में श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्यात उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन योजना आरंभ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(2) पात्र परियोजनाएं-

(i) परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं (प्रतिष्ठित भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित)

(ii) ई-कॉमर्स से संबंधित लॉजिस्टिक्स केंद्र

(iii) अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन और लेबलिंग, पैकेजिंग आदि के लिए सामान्य सुविधा केंद्र

(iv) नोडल संस्था द्वारा उपयुक्त पायी गई ग्रीनफील्ड परियोजना की कोई अन्य श्रेणी

**(3) पात्र क्रियान्वयन संस्थाए-**

क्रियान्वयन हेतु चिन्हित की गयी निर्यातपरक अवस्थापना के विकास, संचालन, प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन हेतु पात्र क्रियान्वयन संस्थाएं निम्न होंगी-

(1) केन्द्रीय/राज्य सरकार

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रम

(3) केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य एजेन्सियां

(4) निर्यात संवर्धन परिषदे/कमोडिटी बोर्ड

(5) भारत सरकार के एक्जिम पालिसी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एपेक्सा ट्रेड बॉडी

(6) निर्यात समर्पित व्यक्तिगत उत्पादन/सेवा इकाईयां

(7) निजी निकाय/उद्योग संगठन उद्योग संघ

**(4) वितीय प्रोत्साहन-**

योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना प्रस्ताव रू0 1 0 करोड़ होगी। इसके अतिरिक्त उपयुक्त एवं भार रहित भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व क्रियान्वयन इकाई का होगा। परियोजना लागत में भूमि की लागत का अंश शामिल नहीं होगा। परियोजना लागत में केवल स्थिर पूंजी विनियोजन हेतु किये गये व्यय ही अनुमन्य होंगे।

**(5) नोडल संस्था-**

निर्यात उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ नोडल संस्था होगी।

**(6) स्वीकृति की प्रक्रिया:-**

(1) परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी प्रस्तावक संस्था/पात्र क्रियान्वयन संस्था द्वारा वांछित अवस्थापना परियोजना प्रस्तावों के विकास एवं प्रबंन्धन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन निम्नवत निर्धारित योजना के अनुसार किया जायेगा-

| SL No | Description विवरण | Max Marks अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 1 | क्रियान्वयन संस्था की क्षेत्रीय विशेषज्ञता<br>(i) अनुभव, वर्षों में (Experience, in Years) | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| | (i) संबद्ध इकाईयों की संख्या एवं कुल सामर्थ्य (Number of similar units and total capacity)<br>(iii) वित्तीय सामर्थ्य (Financial Capacity)<br>(iv) प्राप्त मानक प्रमाणपत्र (वैश्विक/राष्ट्रीय) (National/International certification and accreditation)<br>(v) परियोजना स्थापित होने की स्थिति में लाभान्वित होने वाले समस्त सेक्टर्स का विवरण (Details of Sectors expected to be benefited from the project) | |
| 2 | भार रहित पर्याप्त भूमि की उपलब्धता<br>(Availability of encumbrance free, sufficient Land) | 25 |
| 3 | क्षेत्र विशेष में परियोजना की आवश्यकता (जबकि क्षेत्र मे समान उद्देश्य से सम्बन्धित परियोजना/सुविधाये न हो)<br>(Need of the Project in the region)<br>(Whether there is all similar project/facility in the region) | 25 |
| 4 | परियोजना का स्वरूपः<br>Category of Projects whether the project is)<br>(i) अनुसंधान एवं विकास, टेस्टिंग लैब, डिजाईन स्टूडियो आदि<br>R&D, Testing Lab., Design studio etc.<br>(ii) व्यवसायोन्मुखी सी.एफ.सी आदि commercial venture | 15 |
| 5 | निर्यात वृद्धि पर सम्भावित प्रभाव<br>(Likely impact on Export growth) | 10 |
| | Total Marks(कुल योग) | 100 |

7. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों द्वारा परीक्षित आवेदन पत्रों को स्क्रीनिंग/मूल्यांकन में विशेषज्ञ संस्थाओं/अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार गठित मूल्यांकन समिति में आवेदन पत्रों को प्रारंभिक मूल्यांकन/अभिलेखों की वांछनीयता की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर | सदस्य |
| 4 | सम्बन्धित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास | सदस्य |
| 5 | अपर/संयुक्त आयुक्त् उद्योग निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश | सदस्य सचिव |

8- मूल्यांकन समिति द्वारा प्रथम दृष्टया उपयुक्त पाये गये/संस्तुत प्रस्तावों को निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2 | प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश या उनके प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | प्रमुख सचिव, परियोजना प्रस्ताव से सम्बन्धित विभाग या उनके प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश या उनके प्रतिनिधि | सदस्य सचिव |
| 6 | निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० | सदस्य |
| 7 | अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश | सदस्य-सचिव |

9. राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनापरांत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

10. प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 0 3 माह के अन्दर क्रियान्वयन इकाई द्वारा परियोजना की Detailed Project Report उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं, प्रस्तावित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं से निर्यात वृद्धि, आय एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावो का तथ्यात्मक एवं तार्किक विश्लेषण, लाभ-लागत विश्लेषण तथा सम्भाव्यता परीक्षण का विधिवत आकलन निरूपित होगा। योजनान्तर्गत प्रस्तावित की जा रही परियोजना को State of the Art की संकल्पना के साथ विकसित किया जायेगा तथा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित की जाने वाली प्लान्ट मशीनरी तथा क्रियान्वयन अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होने चाहिए।

11. उक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त प्राप्त डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० से मूल्यांकन कराकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। डी०पी०आर० के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा कि परियोजना में शामिल अमुक घटक, जिसकी अनुमानित लागत रू०.....है. आर्थिक सहायता किसी अन्य स्रोत से प्राप्त है/प्राप्त किया जाना विचाराधीन हैं. अत उसे प्रस्तुत डी०पी०आर० में शामिल नहीं किया गया है।

12. योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य प्रावधान निम्नवत है:-

(1) परियोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व क्रियान्वयन इकाई व उत्तर

प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के मध्य निर्धारित प्रारूप पर एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) परियोजना की क्रियान्वयन इकाई शासकीय संस्था होने की दशा में शासन द्वारा सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग को परियोजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अवमुक्त धनराशि के सदुपयोग, अपेक्षित गुणवत्ता, परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी होगा। परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि नोडल अधिकारी के माध्यम से ही अवमुक्त की जायेगी।

(3) निजी विकास कर्ताओं से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त निजी अंश दान के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि का विनियोग कर लिये जाने के पश्चात ही योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग किया जायेगा।

(4) परियोजना राज्यांश के रूप में दी जाने वाली धनराशि 04 किस्तों में अवमुक्त की जायेगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किस्त के रूप में यथा संभव 40, 30, 25 व 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। प्रथम किस्त की धनराशि का 75 प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कर लेने पर द्वितीय किस्त तथा प्रथम व द्वितीय किस्त की फुल धनराशि का 75 प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कर लेने पर तृतीय किस्त अवमुक्त की जा सकेगी। चतुर्थ किस्त परियोजना के सफलतापूर्वक स्थापित / संचालन आरंभ होने के उपरांत अवमुक्त की जा सकेगी। द्विपक्षीय अनुबंध की शर्त के अधीन ही सदुपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(5) परियोजना की स्थापना का कार्य परियोजना की डी.पी.आर. में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा जिसकी अधिकतम अवधि वित्तीय स्वीकृति से दो वर्ष होगी। यदि अधिकतम अवधि के बाद परियोजना लम्बित रहती है तो उसके फलस्वरूप लागत में होने वाली वृद्धि का शत प्रतिशत वहन क्रियान्वयन इकाई द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(6) सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग के बदले उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा ताकि राज्य सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के समानुपातिक लाभ उपयोग कर्ताओं को प्राप्त हो सकें।

(7) प्रयोक्ता शुल्क का निर्धारण/अनुमोदन शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(8) ऐसी परियोजनायें अथवा परियोजाओं में शामिल ऐसे घटक (Component) जिनको केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य परियोजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है, का इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

(9) अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार गैर-अनुपालन और किस्तों में आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने पर, योजना के अंतर्गत आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को 10 प्रतिशत

वार्षिक व्याज सहित नोडल संस्था को वापस किया जाना होगा।

(10) **यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।**

भवदीय

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 02-12-2025
12:09:25

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या- 873(1) /18-4-2025 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० ।
5. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर।
6. निर्देशक कृषि विपणन व विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर / संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश,
9. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
10. महा प्रबंधक नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० ।
11. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र०।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।